रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17032026-271002
CG-DL-E-17032026-271002

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1276] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 16, 2026/फाल्गुन 25, 1947
No. 1276] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 16, 2026/PHALGUNA 25, 1947

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि और किसान कल्याण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2026

का.आ. 1335(अ).— केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) तीसरा संशोधन आदेश, 2026 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) में,-

(i) उपशीर्ष अनुसूची -1 के भाग क "उर्वरको के विनिर्देश " मे 1(ज) में फोरटीफाइड उर्वरक से संबंधित, क्रम संख्या 39 के पश्चात् निम्नलिखित क्रमसंख्या अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"40 एनपीके 14-22-14 सल्फर जिंक और बोरॉन के साथ

(i)	भार के आधार पर आर्द्रता प्रतिशत, अधिकतम	1.5
(ii)	कुल नाइट्रोजन (अमोनिकल नाइट्रोजन के रूप में) प्रतिशत, न्यूनतम	14.0
(iii)	भार के आधार पर उपलब्ध फास्फोरस (पी2ओ5 के रुप में) प्रतिशत, न्यूनतम	22.0
(iv)	भार के आधार पर जल में घुलनशील फास्फोरस (पी2ओ5 के रुप में) प्रतिशत, न्यूनतम	19.0
(v)	जल में घुलनशील पोटेशियम, प्रतिशत, न्यूनतम	14.0
(vi)	भार के आधार पर सल्फेट सल्फर (एस के रूप में) प्रतिशत, न्यूनतम	8.0
(vii)	भार के आधार पर कुल जिंक (जैड एन के रुप में) न्यूनतम प्रतिशत,	0.5
(viii)	भार के आधार पर कुल बोरेन (बी के रुप में)) प्रतिशत, न्यूनतम	0.2
(ix)	कण आकार : सामग्री का कण आकार ऐसा होगा कि सामग्री का न्यूनतम 90 प्रतिशत 4 मि. मी. और 1 मि. मी. भारतीय मानक छलनी के बीच रह जाएगा।	

41 सल्फर नाइट्रोजन के साथ 10-0-0-75 (एस)

(i)	भार के आधार पर आर्द्रता प्रतिशत, अधिकतम	0.5
(ii)	कुल नाइट्रोजन ((यूरिया के रूप में) प्रतिशत, न्यूनतम	10.0
(iii)	भार के आधार पर सल्फर (एस के रूप में) प्रतिशत, न्यूनतम	75.0
(iv)	कण आकार:	कण आकार : सामग्री का कण आकार ऐसा होगा कि सामग्री का न्यूनतम 90 प्रतिशत 4 मि. मी. और 1 मि. मी. भारतीय मानक छलनी के बीच रह जाएगा।"

3. अनुसूची III, भाग 'क' में, जैव उर्वरकों के विनिर्देश" से संबंधित,-

(i) क्रम संख्या 4 से संबंधित फॉस्फेट घुलनशील बैक्टीरिया के अधीन, कुल व्यवहार्य संख्या" प्रविष्टि के सामने, "कोशिका प्रति ग्राम" शब्द के पश्चात, "या प्रति ग्राम कैप्सूल सामग्री या" शब्द अंत:स्थापित किये जाएंगे;

(ii) क्रम संख्या 9 से संबंधित "वाहक आधारित भागीदारी" के अधीन, "उत्पाद में सभी जैव उर्वरकों की कुल व्यवहार्य संख्या" प्रविष्टि के सामने, "कोशिका प्रति ग्राम" शब्द के पश्चात, "या प्रति ग्राम कैप्सूल सामग्री" शब्द को अंत:स्थापित किये जाएंगे

4. उक्त आदेश की अनुसूची V में, भाग क में, "अखाद्य तेल रहित खली की साधारण विशिष्टियां" से संबंधित, क्रम संख्या 1 के अंतर्गत,मद 4 के सामने, प्रविष्टि "<4" के स्थान पर, "8 से अधिक नहीं होगा" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

5, "नैनो 'उर्वरकों के सामान्य विनिर्देश," से संबंधित उक्त आदेश की अनुसूची VII में,-

(i) क्रम संख्याक 2 नैनो नाइट्रोजन और फास्फोरस उर्वरक,-

(क) नैनो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस शब्दों के स्थान पर नैनो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस पोटैशियम के साथ और बिना पोटैशियम शब्दों को रखा जाएगा, अर्थात्:—

(ख) मद (1) में, प्रविष्टि (क) के सामने, "10-70" अंको के स्थान पर निम्नलिखित मे रखा जाएगा, अर्थात्,-

"<100",

(ii) क्रम संख्याक (3) नैनो फॉस्फोरस में, मद iii और उससे संबंधित प्रविष्टियां का लोप किया जाएगा;

[फा. सं. 4-8/2025 उर्वरक विधि]

फ्रैंकलिन एल. खोबंग, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्या 758 (अ), तारीख 25 सितंबर, 1985 द्वारा प्रकाशित किया गया था और सख्यांक का.आ. 1242 (अ) तारीख 9 मार्च, 2026 द्वारा उसे अंतिम बार संशोधित किया गया।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

Order

New Delhi, the 13th March, 2026

S.O. 1335(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985, namely: —

1. (1) This Order may be called the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) (Third) Amendment Order, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2. In the Fertilizer (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order,1985 (hereinafter referred to as the said order, in schedule I, Part A "Specifications of Fertiliser",-

(i) in sub-heading 1(h) relating to , Fortified fertilizer, after serial number 39, the following serial number and entries shall be inserted, namely,-

"40. NPK 14-22-14 with Sulphur Zinc and Boron

(i)	Moisture per cent by weight , maximum	1.5
(ii)	Total Nitrogen (in ammonical form), per cent. by weight , minimum	14.0
(iii)	Available Phosphorus per cent. by weight , minimum	22.0
(iv)	Water soluble phosphorus, per cent. by weight , minimum	19.0
(v)	Water soluble potassium, per cent. by weight , minimum	14.0
(vi)	Sulphate Sulphur (as S) per cent. by weight , minimum	8.0
(vii)	Zinc as Zn, per cent. by weight , minimum	0.5
(viii)	Boron as B per cent. by weight , minimum	0.2
(ix)	90% of the material shall retain between 4mm and 1 mm sieve	

41. Sulphur with Nitrogen 10-0-0-75 (S)

(i)	Moisture percent by weight maximum	0.5
(ii)	Total nitrogen (in urea form) per cent. by weight minimum	10.0
(iii)	Total elemental sulphur (as S) , per cent. by weight minimum	75.0
(iv)	Particle size :	minimum 90 % of the material shall pass through 4mm and 1 mm IS sieve"

3. In Schedule -III ,of the said Order,in Part A, relating to Specification of Bio ferilisers,-

(i) under serial number 4. relating to " Phosphate Solubilising bacteria", against the entry "Total Viable count,"after the word "carrier material", the words "or per gram capsule content or" shall be inserted;

(ii) under serial number 9, relating to Carrier based Consortia, against the entry "Total Viable count of all biofertilisers in the product,",after the word "carrier / powder ", the words "or per gram capsule content" shall be inserted.

4.In Schedule V of the said Order, in Part A, relating to " Specification of Non-edible De-oiled cake Fertilisers", under serial number 1. "General Specification of Non-edible De-oiled cake Fertilisers", against item 4, for the entry "<4", the words and figure "shall not be more than 8 shall be substituted".

5. In schedule VII of the said Order relating to "General Specifications of Nano Fertilisers,"-

(i) in serial number 2, Nano Nitrogen, and Phosphorus Fertiliser,-

(a) for the words Nano nitrogen, and Phosphorus, the words Nano Nitrogen, Phosphorus with and without Potassium shall be substituted;

(b) in item (i), against entry (a) , for the figures "10-70" the following shall be substituted, namely,-

"<100",

(ii) in serial number 3, Nano Phosphorus ,the item (iii) and entries thereunder shall be omitted.

[F. No. 4-8/2025-Fert.Law]

FRANKLIN L. KHOBUNG, Jt. Secy.

Note: The Principal Order was published in the Gazette of India, Extra-ordinary, Pat-II, Section 3, sub-section (i) vide G.S.R. number 758 (E) dated 25th September,1985 and was last amended S.O number 1242(E) dated 9th March,2026.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2026.03.17 11:56:36 +05'30'